भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया पर हमले का विरोध व रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग

- **हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर कायराना हमला किया गया, ऐसे कायराना हमलों से भाजपा डरने वाली नही, सड़क से लेकर सदन तक और मुखरता से लड़ाई लड़ेंगे : राजेन्द्र राठौड़**
- **रीट लेवल-2 परीक्षा को रदद् करने से प्रभावित युवाओं से पुनः परीक्षा शुल्क, आवागमन शुल्क नहीं लिया जाए और कोचिंग शुल्क और कमरे की किराया राशि उपलब्ध कराए राज्य सरकार : अरूण चतुर्वेदी**

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया पर बूंदी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गये हमले व पत्थरबाजी के विरोध में और रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में राजेन्द्र राठौड़ के नेतृत्व में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर और अलवर मूकबधिर पीड़िता को न्याय को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में मुखरता से आंदोलन किये जा रहे हैं, जिनसे कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार चौतरफा घिर चुकी है और बौखलाहट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर कायराना हमला किया गया, ऐसे कायराना हमलों से भाजपा डरने वाली नहीं है, किसान कर्जमाफी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, संविदाकर्मी, बिगड़ी कानून व्यवस्था इत्यादि मुद्दों पर हम सड़क से लेकर सदन तक और मुखरता से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हीं जनहित के मुददों पर विधानसभा में भी जनविरोधी कांग्रेस सरकार को घुटनों के बल लाने पर मजबूर कर देंगे। अशोक गहलोत को स्वयं की और कांग्रेस की जमीनी हकीकत पता चल चुकी है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में एंटीइंनबेंसी का माहौल है और 2023 में प्रदेश का किसान व युवा कांग्रेस सरकार को सत्ता से विदाई करने को तैयार बैठा है। अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे सभी नकल माफियाओं को कड़ी सजा मिले। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमला करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाई हो। चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रीट लेवल-2 परीक्षा को रदद् करने से प्रभावित युवाओं से पुनः परीक्षा शुल्क, आवागमन शुल्क नहीं लिया जाए और उनकी तैयारी के लिए कोचिंग शुल्क और कमरे का किराया राशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे इन अभ्यर्थियों को रीट लेवल-2 की तैयारी हेतु संबल मिल सके।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग जो भरतपुर से विधायक हैं, यह स्वयं राजीव गांधी स्टडी सर्किल के को-कॉर्डिनेटर हैं, रीट पेपर लीक मामले के तार इस सर्किल से सीधे जुड़े होने की बात सामने आ रही है, इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि रीट पेपर लीक मामले में सुभाष गर्ग सहित सभी छोटे-बड़े लोगों की जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जिससे निष्पक्ष जांच हो सके।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में और गिरावट आई

राज्य में सोमवार को 2298 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 4509 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

- **राजधानी जयपुर में भी और कमी आने के साथ ही 403 नए मरीज मिले हैं।**
- **प्रदेश में संक्रमण दर भी घटकर 3.34 फीसदी जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.97 प्रतिशत हो गई है।**
- **राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 12 और लोगों की मौत हो गई है।**

जयपुर। प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में और गिरावट आई है। इस दौरान राज्य में सोमवार को 2298 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर घटकर 3.34 फीसदी पर आ गई है। इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 12 और लोगों की मौत हो गई है।

राज्य में करोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में 2211 मामले कम मिलने के साथ ही 2298 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 4509 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जिले में आज 403 नए संक्रमित मिले हैं।

इसके अलावा जोधपुर में 239, झुंझुनूं में 131, अलवर में 123, राजसमंद में 114, भीलवाड़ा में 105, पाली में 104, कोटा और सिरोही में 96-96, गंगानगर 92, बीकानेर में 88, अजमेर में 87, जैसलमेर में 76, नागौर में 70, सवाई माधोपुर में 64, बारां में 59, बांसवाड़ा में 55, झालावाड़ में 52, करौली में 46, उदयपुर में 42, डूंगरपुर में 24, धौलपुर में 21, प्रतापगढ़ में 18, बाड़मेर व भरतपुर में 17-17, सीकर में 14, चित्तौड़गढ़ में 11, बूंदी, चूरू और टोंक में 8-8, दौसा में 7, जालौर में 2 और हनुमानगढ़ में 1 नए संक्रमित मिला हैं। इस बीच राज्य में सोमवार को नए संक्रमितों के मुकाबले तीन गुना 7299 मरीज ठीक हुए हैं।

इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस घटकर 40 हजार 880 रह गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर में इनकी संख्या 10 हजार से कम होकर 9676 रह गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 95.97 फीसदी पर पहुंच गई है।

उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 12 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें जयपुर, सीकर व झालावाड़ में 2-2, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर और कोटा में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9391 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

जयपुर के 70 इलाकों में नए संक्रमित

राजधानी जयपुर में भी करोना संक्रमण का दायरा घटता जा रहा है। सोमवार को शहर के 70 इलाकों में नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा मानसरोवर में 41, प्रताप नगर में 30, सांगानेर में 18, कोटपूतली में 19, दुर्गापुरा और जमवारामगढ़ में 17-17 संक्रमित मिले हैं। वहीं 17 ऐसे मरीज है जिनका नाम, पता व मोबाइल नम्बर गलत लिखा गया है। उधर जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 1809 मरीज रिकवर हुए हैं।

चर्चा है कि आखिर क्या कारण है राजे, माथुर और परनामी ने ना कोई बयान जारी किया, ना कुशलक्षेम जानी

- **अरूण सिंह, चंद्रशेखर, केन्द्रीय मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने पूनिया की कुशलक्षेम जानी**

जयपुर। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया पर बूंदी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले व पत्थरबाजी मामले की भाजपा केंद्रीय आलाकमान ने जानकारी ली और सतीश पूनिया से फोन पर बात कर कुशलक्षेम पूछी।

भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है सतीश पूनिया पर हमले को लेकर भाजपा केंद्रीय आलाकमान से लेकर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने जानकारी ली, बयान जारी किये व उनकी कुशलक्षेम पूछी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राज्यसभा सांसद ओमप्रकाश माथुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वसुंधरा राजे के करीबी अशोक परनामी ने सतीश पूनिया पर हमले को लेकर ना कोई बयान जारी किया, ना कोई ट्वीट आए और ना ही कुशलक्षेम पूछने की कोई जानकारी मिली है। इसके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी भारती बेन, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश के पार्टी के सांसद एवं विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों ने सतीश पूनिया से बात कर कुशलक्षेम जानी।

कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया पर कोटा बूंदी रोड पर हुए हमल के विरोध में दिल्ली रोड पर चल रही कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर जयपुर शहर भाजपा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया पर कोटा बूंदी रोड पर हुए हमले को लेकर भाजपा में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी के अंतर्गत दिल्ली रोड पर चल रही कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर जयपुर शहर भाजपा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।

शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कांग्रेस सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कर हम कांग्रेस सरकार की जनता विरोधी मानसिकता को हम जनता के सामने लाकर रहेंगे। जिसका परिणाम कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत को 2023 में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। यह घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है इस तरीके की घटना कांग्रेस सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने ले जाना संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, लेकिन हम इस कायरता पूर्ण कृत्य से डरने वाले नहीं है लोकतंत्र में इस तरह के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है और ऐसा पहली बार किसी सरकार में ऐसा कानून का राज नहीं रहा। यह तो जंगलराज हो गया है भाजपा ने पूनिया के जत्थे को रोककर लिप्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। कांग्रेस की बौखलाहट और घबराहट से मालूम चलता है सरकार को मालूम था कि इसमें हमारे मंत्री भी शामिल है इसीलिए उन्होंने रीट की परीक्षा को रद्द किया। आज राज्य में कैसी स्थिति हो गई है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही पर ही इस तरह की के हमले हो रहे हैं हम जब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती इसी के चलते दिल्ली रोड स्थित धरना प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस

अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, अलका मूंदड़ा, शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर देहात के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, रामानंद गुर्जर, शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र पूरूवंशी, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी, महामंत्री कुलवंत सिंह, केदार अग्रवाल, रेखा राठौड़, ज्योति मिश्रा, सीपी सैनी और प्रदेश जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे।

पेंशनर्स की सुविधाओं के लिए मोबाईल एप जारी

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा राज्य पेंशनर्स को दी जा रही सुविधाओं के लिए मोबाईल एप जारी किया गया है। पेंशनर्स द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर लिंक पर जाकर इस एप को डाउनलोड व इन्स्टॉल किया जा सकता है। इसमें रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. अथवा पीपीओ नम्बर व बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर पेंशन स्लिप भी देख सकते हैं।पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि दिसम्बर- 2021 से पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से करना प्रारम्भ कर दिया गया था।

नम्बर मिलाइए 9587884433

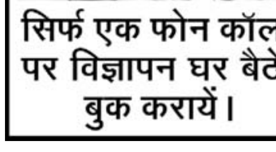

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

गर्ग, डोटासरा के साथ देवाराम भी गुनहगार, सीबीआई जांच ही विकल्प : किरोड़ी मीणा

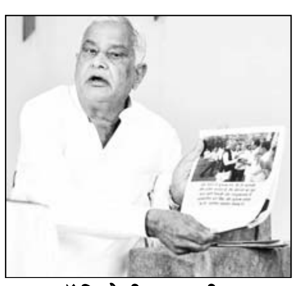

डॉ.किरोड़ी लाल मीणा

- **जारोली को मुंह खोलने से किया मना मुख्यमंत्री पर भी विफल होने का लगाया आरोप**
- **रीट से पहले लगे ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की हो जांच**

जयपुर। सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रीट पेपर लीक प्रकरण में मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा का कहना है कि ये तीनों भी लाखों छात्रों के भविष्य से धोखा करने के लिए समान रूप से गुनहगार है। सीबीआई जांच से ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

मीणा ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि बर्खास्त करने के बाद बोर्ड अध्यक्ष धर्मपाल जारोली ने बयान दिया था कि राजनैतिक संरक्षण में रीट का पेपर लीक हुआ है। उसके बाद से ही जारोली को बड़े लोगों ने गायब कर दिया जिनमें सत्ताधारी दल के मंत्री एवं पीसीसी चीफ शामिल है। इन लोगों ने जारोली को मुंह खोलने के लिए मना किया है। इन लोगों ने ही पेपर लीक गैंग के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का न्यारावारा किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के ग्रुप पर जारोली ने 4 फरवरी को एक मैसेज डाला था कि "मुझे तो बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है", जिसमें मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के दबाव में आकर मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने का टेंडर दिया था। इसकी जानकारी प्रदीप पाराशर को भी थी। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से एक प्रभावशाली मंत्री ने पेपर प्राप्त कर लिया, जो करीबन 20 परीक्षा केंद्रों को दिया गया। इसके जरिए करोड़ों रुपए एकत्र किए गए। मीणा ने कहा कि जारोली को बर्खास्त करने के बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाना सरकार की मिलीभगत का उदाहरण है। क्रम संख्या-55 पर अंकित जसवन्त सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल भरतपुर, क्रम संख्या-74 पर अंकित मदर टैरेसा स्कूल भरतपुर इन दोनों में सुभाष गर्ग का शेयर है और क्रम संख्या 87 पर अंकित बाबा लक्ष्मण दास कॉलेज भरतपुर में सुभाष गर्ग का चुनाव कार्यालय रहा है। इन तीनों को सेंटर बनाया गया। महिलाओं को यथा संभव नजदीक रखा जाए, जबकि इन्होंने गनमैन एवं उसके एक दर्जन साथियों को पास कराने के लिए भरतपुर के मदर टैरेसा सेन्टर में परीक्षा दिलाई। एक बात और अचंभित करने वाली है कि मदर टैरेसा कॉलेज एवं जसवंत स्कूल एक ही कैम्पस में है और मालिक भी एक ही है, किन्तु नियम विरूद्ध इसमें दो परीक्षा केन्द्र बना दिए जहां पेपर पढ़ाया गया। लक्ष्मण कॉलेज भरतपुर में भी सेंटर रखा जहां यहीं खेल हुआ। इसी तरह ब्लैक लिस्टेड स्कूल/कॉलेज जैसे- कमला देवी कॉलेज अलवर, डीकवाल अलवर, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय बूढी बावल कोटकासिम अलवर, शिव शक्ति स्कूल जयपुर, सुनीता आईटीआई सेन्टर, पन्नाधाय टोंक को भी सेन्टर बनाया गया।

उन्होंने कहा कि डॉ. बनैसिंह आरजीएससी का कॉर्डिनेटर हैं और डॉ. सुभाष गर्ग के कहने पर ही आरजीएससी के तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति डॉ. बनैसिंह ने करवाई है इन पर पूर्व में रिश्वत लेने के आरोप में भरतपुर स्थित मथुरागेट थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कई संगठन भी इनकी लिखित शिकायत दर्ज कर चुके हैं, रीट पेपर घोटाले में सभी पदाधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम इनका ही था। इनके और डी.पी. जारौली व प्रदीप पाराशर के मध्य इस दौरान हुई फोन पर बातचीत और लोकेशन से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। वास्तव में पूरे राज्य में सेन्टर और डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर लगाने का काम डॉ. सुभाष गर्ग के कहने पर डॉ. बनैसिंह स्टेट कॉर्डिनेटर आरजीएससी के द्वारा ही लगवाई जा रही थी। बड़ी राशि लेकर सारे सेन्टर डॉ. बनैसिंह द्वारा आवंटित किए, जबकि यह सेन्टर आवंटित करने के लिए अधिकृत ही नहीं था इसे गिरफ्तार किया जाए। करीबन 40 परीक्षा केन्द्रों की सूची में जहां पर आरजीएससी से जुड़े लोगों को कॉर्डिनेटर लगा दिया इसमें कई प्राईवेट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन डॉ डीपी जारोली राजस्थान के प्रदेश स्तरीय समिति के सदस्य हैं, राजस्थान रीट के जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर आरजीएससी के क्षेत्रीय समन्वयक है। जयपुर रीट के कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव आरजीएससी के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। यह सभी डॉ सुभाष गर्ग के अत्यंत खास व्यक्ति हैं और डॉ सुभाष गर्ग रगस्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ बनैसिंह के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखकर अपने कार्य करवाते हैं।

मगरमच्छों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं गरीब युवाओं की ताकत : किरोड़ी

जयपुर। सांसद किरोड़ी मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि रीट दस्तावेजों की सच्चाई वे खुद एसओजी को लगातार बता रहे हैं। किरोड़ी ने कहा कि वे गरीब युवाओं की ताकत है और रीट धांधली में मगरमच्छों की गिरफ्तारी तक संघर्ष जारी रहेगा।

डॉक्टर मीणा ने मुख्यमंत्री की ओर से रीट के दस्तावेजों को लेकर उनकी जांच की बात पर पलटवार किया। कहा कि "मैं खुद एसओजी को सब कुछ बताता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। डॉक्टर मीणा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीएम उन्हें सीरियसली नहीं लेने की बात करते हैं, लेकिन रीट को निरस्त करके उन्होंने मुझे सीरियसली लिया है। डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे गांधी परिवार की सेवा में अपनी जिंदगी लगाने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक परीक्षा तक का सफल आयोजन नहीं करवा सके। इस विफलता की खीझ में मुझे कोसकर वे युवाओं के साथ हुए अन्याय से मुंह नहीं मोड़ सकते। जरूरी है कि अपराधियों की पकड़ हो। परीक्षा में जो अन्याय सरकार ने किया है, उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मुझ पर गिरोह से मिले होने का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री ने उन लाखों बेरोजगारों को गाली दी है, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में मेरे सहयोगी हैं।

वकीलों का धरना जारी

जयपुर। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए वकीलों का चल रहा धरना 14वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता पीसी भंडारी के नेतृत्व में वकील रोजाना एक घंटा गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं।

अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि मामले में रजिस्ट्रार जनरल से मिलकर प्रकरण की जानकारी दी गई। वहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर और राज्यपाल से मुलाकात कर वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनयन में कुछ अधिवक्ताओं की अनदेखी करने की जानकारी दी जाएगी। अधिवक्ता विमल चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की वकालत अवधि और उनकी ओर से दी गई सार्वजनिक सेवाओं को दरकिनार कर उन्हें सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट नहीं किया गया है।

टी.रविकांत को राजसीको अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर आईएएस टी.रविकांत को राजसीको के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

सूचना

खसरा नं. 669, 675, 677, 672, 664, 676 ग्राम मोदु का बास तहसील आमेर जिला जयपुर के पूर्व में जविप्रा द्वारा दिनांक 24.01.2011 का X, Y, Z के 36 ब्लॉक के भवन मानचित्र जारी किये गये थे। वर्तमान में विकासकर्ता बिल्डर्स एलायन्स प्रा. लि. द्वारा पूर्व अनुमोदित भवन मानचित्रों अनुसार ब्लॉक, X, Y, Z में से केवल ब्लॉक Y के 1 ही टॉवर जिसका क्षेत्रफल 3388.73 वर्गमीटर का निर्माण किया गया है तथा शेष सभी 35 X, Y, Z टॉवर के भवन मानचित्र निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार उक्त परियोजना के पेटे किसी अन्य विभाग अथवा बैंक में लेय राशि बकाया नहीं है एवं परियोजना में निरस्त इकाईयां में से किसी का बेचान नहीं किया गया है। अतः उक्त निरस्त किये जाने वाले टॉवरों के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में, आपत्ति वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी – बीपी, जयपुर विकास प्राधिकरण, इन्द्रा सर्किल जेएलन मार्ग, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करे।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक:- 15126 जाहिर आम सूचना दिनांक: 7/2/22

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 180/65 (EWS), (एरिया 36.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर सामानर का आवंटन श्री मूलचन्द पुत्र श्री मोहनमल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2962 दिनांक 10.02.2000 के द्वारा जारी किया गया था। श्री मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 10.10.2007 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व. श्री मूलचन्द द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। कार्यालय आदेश क्रमांक 991 दिनांक 27.08.2010 के द्वारा श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व. श्री मूलचन्द के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया है। श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री अमर लाल वसन्दानी के पक्ष में उक्तआवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1359/2709 दिनांक 26.06.2013 के द्वारा किया गया एवं श्रीमती इन्द्रा देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 27.10.2014 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती इन्द्रा देवी की मृत्यु दिनांक 12.11.2017 को हो जाने के कारण अपने पुत्र श्री कमल वसन्दानी पुत्र स्व. श्री अमर लाल वसन्दानी द्वारा उक्तआवास का स्वयं अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्तआवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री कमल वसन्दानी पुत्र स्व. श्री अमर लाल वसन्दानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम

नाम परिवर्तन

मैं अरूण कुमार निवासी प्लाट नं. बी-308, पर्ल स्प्रिंग 231-232, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर घोषणा करता हूं। मैंने अपना नाम अरूण कुमार से बदलकर अरूण कुमार सक्सेना रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं, धारा सिंह चौधरी पुत्र घासी राम चौधरी निवासी ग्राम मानपुर गेट पोस्ट मोहनपुरा फागी जयपुर 303904 ने अपना नाम बदलकर प्रहलाद चौधरी कर लिया है भविष्य मे मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे

आम सूचनाः भूखण्ड संख्या 04, आश्रम मार्ग, पी.डब्लू.डी. चौकी, बी-2 बाईपास/टोंक रोड, जयपुर 302018 के पूर्व में जविप्रा द्वारा दिनांक 07.07.021 को भवन मानचित्र जारी किये गये थे। वर्तमान में विकासकर्ता जयपुर सेन्टर डवलपर्स प्रा. लि. द्वारा पूर्व अनुमोदित भवन मानचित्रों में मुख्यतया आंतरिक परिवर्तन कर संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। अतः यदि उक्त परियोजना के उक्त प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी आवंटी को आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में, आपत्ति वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी के समक्ष प्रस्तुत करें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नूर इस्लाम पुत्र नजीर खॉं, पता-241/2004, राणा कॉलोनी, मदीना मस्जिद के पीछे, नाहरी का नाका, जयपुर के हैं। मेरे अभिभाष्य का पुत्र नासिर हुसैन मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है, पिछले 4-5 वर्षों से उनसे अलग रहता है, उनसे दुर्व्यवहार करता है। इसलिए मेरे अभिभाष्य ने नासिर हुसैन को उसके आचरण के कारण अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में नासिर हुसैन का मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पत्ति से कोई संबंध नहीं रहेगा। नासिर हुसैन से जो कोई संव्यवहार व लेन देन करेगा, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे।
जयपुर (हरिवंश राय खुडानिया) एडवोकेट
दिनांक-7/2/22 मोबाइल-9829280478

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
कार्यालय विश्वविद्यालय अभियन्ता

निविदा सूचना संख्या 31/2021-22

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विभिन्न कार्यों के लिये राजकीय/अर्द्ध-राजकीय विभागों के सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से विभिन्न कार्यों की **कुल संख्या 02** हेतु **कुल राशि रुपये 7.82 लाख** की सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, निविदा देने एवं प्राप्त करने की दिनांक, समय एवं शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** एवं **http://sppp.raj.nic.in** पर उपलब्ध है, जिसका यू.बी.एन. नम्बर **URA2122WSOB00146, 147 & NIB URA2122A0039** है।

विश्वविद्यालय अभियन्ता

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक- नपाश्रीमा/2021-22/4401-02 दिनांक-07.02.2022

आपत्ति आमंत्रण- सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर में निम्न तालिका अनुसार पट्टा नामान्तरण की पत्रावली पर आपत्ति आमंत्रित की जाती हैः-

क्र. सं.	नाम पत्रावली	क्षेत्रफल	पत्रावली का प्रकार
1	श्रीमती बरजी देवी पत्नि श्री चन्द कुमावत वार्ड नं. 16 एफ. सी.आई गोदाम के पीछे श्रीमाधोपुर	200 वर्गगज	आवासीय पट्टा नामान्तरण

जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो 03 दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज स्वयं की आईडी जिस पर स्वयं के मोबाईल नम्बर अंकित हो व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। अन्यथा बाद मियाद विचार नही किया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला-जयपुर

क्रमांक-ग्रा.प./लेखा/ई-निविदा/2021/492 दिनांक-03/02/2022

ई-निविदा सूचना संख्या /2021-22

पंचायत समिति गोविन्दगढ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग षष्ठम योजना अन्तर्गत स्वीकृत छः कार्य संकर्म राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 181 (2) के अनुसार करवाने हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण sppp.rajasthan.gov.in से download की व देखी जा सकती है।

UBN No.-PFA2122WSOB00571 to 00575

विकास अधिकारी
पंचायत समिति गोविन्दगढ

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	27605727 और 27918307	सम्पत्ति पर ऋण	1. कन्हैया लाल शर्मा 2. रामदयाल शर्मा	29.01.2022	42,06,208.15/-	**सम्पत्ति-1** - प्लाट पट्टा न. 53 क्षेत्रफल 298.68 वर्गगज, ग्राम कानोता, ग्राम पंचायत कानोता, तहसील बस्सी, जिला-जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-कल्याण प्रधान के बाडे का चरपेटा, उत्तर-नाथू लाल लक्ष्मीनारायण के बाडे का चरपेटा, दक्षिण-गली और खुद का मकान **सम्पत्ति-2** - प्लाट पट्टा नं. 11, क्षेत्रफल 236.88 वर्गगज, ग्राम कानोता, ग्राम पंचायत व तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-3.5 फिट गली और छीतर पुत्र लक्ष्मी नारायण का मकान, पश्चिम-राम सहाय और जगदीश का मकान, उत्तर-धन्ना की गुवाडी, दक्षिण-11.5 फिट रास्ता

आपको एतदद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चो, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

दिनांक- 08.02.2022
स्थान- जयपुर

ह./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)